कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड देहरादून।
E-Mail ID: nodalfca.forest@uk.gov.inPhone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 357 /12-1: देहरादूनः दिनांकः 23 अगस्त, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद चमोली के अन्तर्गत घुड़साल सैकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.772 हे0 वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/12313/2015)

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या–08बी/यू0सी0पी0/06/180/2016/एफ0सी0/1718, दिनांक 17.1.2018

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त विषयक पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके कम में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक संख्या–5868/12–1 दिनांक 26.6.2025 के माध्यम से प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

क्र.सं.	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिकस्वीकृति की अनुपालनआख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 820 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया है कि 820 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु 10 वर्षों का रख रखाव हेतु रू0 82,0000.00 मात्र का भुगतान RTGS के माध्यम से दिनांक 02.8.2018 को वन विभाग के पक्ष में जमा की गयी। चालान की प्रति **संलग्नक–1**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया है कि भारत सरकार के पत्रांक 5–3/2007/एफसी दिनांक 05.2.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एनपीवी की धनराशि रू0 507204.00 मात्र RTGS के माध्यम से दिनांक 02.8.2018 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। वर्ष 2022 में एन0पी0वी0 की पुनरीक्षित दरों हेतु जारी निर्देशों के कम में इस कार्यालय के पत्रांक 3280/12–1 दिनांक 03.2.2025 द्वारा प्रस्तावक विभाग को एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु डिमाण्ड नोट जारी किया गया, जोकि प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करावायी जा चुकी है। पुष्टि हेतु चालान की प्रति संलग्न है। **संलग्नक–2**
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़े हुये दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जायेगी।	आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रमाण–पत्र संलग्न। **संलग्नक–3**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost NPV etc) का पोर्टल पर Online Generate किए चालान के माध्यम द्वारा	आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि मांग के अनुसार अतिरिक्त एनपीवी मार्ग के दोनों ओर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की धनराशि RTGS के

Gen Lett.

P/T

	उचित आनलाईन बैंक में जमा किये जाए अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में मान्य नहीं होगी।	माध्यम से दिनांक 02.8.2018 को उत्तराखण्ड कैम्पा के पक्ष में जमा की जा चुकी है।
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Center Verge अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strep Plantation की जायेगी। इस आशय के साथ बद्धता प्रेषित करनी है।	आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रमाण–पत्र संलग्न। **(संलग्नक–4)**
6	State Govt. will provide hard copy of digital map of proposed Road. FRA, Plantation Scheme in original.	आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित डिजिटल जियोरिफरेन्स मानचित्र, वन अधिकार अधिनियम, 2006 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्राक्कलन मूल में संलग्न कर प्रेषित। **(संलग्नक–5)**
7	State Govt. will review the data given about employment likely to be generated and upload correct data account employment details at para E online part-I	आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि खण्ड द्वारा मोटर मार्ग का निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम निविदादाता को अनुबन्ध पर निर्माण कार्य कराया जाता है। जिस कारण स्थायी कर्मचारियों की संख्या शून्य दर्शायी गई है तथा ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु श्रमिक रखे जाते हैं, जोकि अस्थायी होते हैं इसमें चालक, श्रमिक एवं अन्य मजदूर भी सम्मिलित होते हैं, जिस कारण इनकी संख्या–150 दर्शायी गयी है।
8	State Govt. will provide and upload FRA certificate after authenticating the correction made in it.	आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **संलग्नक–5** के रूप में संलग्न है।

अतः उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा प्रेषित निराकरण आख्या के क्रम में वन (संरक्षण एवं संर्वधन) अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

संख्या : 357 /12-1/ तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
3. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।

(आर0के0मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

कार्यालय उप वन संरक्षक केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
Office of Deputy conservator of Forest, Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.
Phone & Fax No-01372252149 Email-dfokedarnath@gmail.com

पत्रांकः– 5865 / 121 गोपेश्वर, दिनांक 26/6/ 2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी ,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः– **जनपद चमोली के अन्तर्गत घुडसाल सैकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.772 है0 वनभूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः– **भारत सरकार, पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यालय के पत्रांक 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 180 / 2016 / एफ0सी0 / 1718, दिनांक 17.01.2018।**

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित परियोजना हेतु भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का अनुपालन कर अनुपालन आख्या अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 1401 / 24एल0ए0, दिनांक 18.06.2025 की छायाप्रति सहित निम्नानुसार 03 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है :–

क0 सं0	शर्तो का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 820 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि 820 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु 10 वर्षो का रख रखाव हेतु रू0 820000.00 मात्र का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से दिनांक 02.08.2018 को वन विभाग के पक्ष में जमा की गयी है। **चालान की प्रति संलग्नक सं0 1 के रूप में संलग्न कर प्रेषित है।**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007--एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। प्रभारी-चमोली आ०का०के०। प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून पंजी0 सं0 160 पत्रावली 12-1 दिनांक 1-7-25 प्र०व०सं०/नो० 2-7-25	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के पत्रांक 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 507204.00 मात्र आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से दिनांक 02.08.2018 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। वर्ष 2022 में एन0पी0वी0 की पुनरीक्षित दरों हेतु जारी निर्देशों के कम में इस कार्यालय के पत्रांक 3280 / 12–1, दिनांक 03.02.2025 द्वारा प्रस्तावक विभाग को एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु डिमाण्ड नोट जारी किया गया, जोकि प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करावायी जा चुकी है। पुष्टि हेतु **चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक सं0 02)**
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढे हुये दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक सं0 03)**

	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचन बद्धता प्रस्तुत की जाय।	
	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें, कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV, etc.) को वह पोर्टल पर किये गये Online Generate चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किये जाय अन्य माध्यमों से जमा कि गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मांग के अनुसार अतिरिक्त एन0पी0वी0 मार्ग के दोनो ओर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से दिनांक 02.08.2018 को उत्तराखण्ड कैम्पा के पक्ष मे जमा की जा चुकी है।
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहां जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की बचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक सं0 04)**
6	State Govt. will provide hard copy of digital map of proposed Road, FRA, Plantation Scheme in original.	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित डिजिटल जियोरिफरेन्स मानचित्र, वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्राक्कलन **(मूल में)** संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक सं0 05)**
7	State Govt. will review the data given about employment likely to be generated and upload correct data account employment details at para-E online part-1	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि खण्ड द्वारा मोटर मार्ग का निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम निविदादाता को अनुबन्ध पर निर्माण कार्य कराया जाता है। जिस कारण स्थायी कर्मचारियों की संख्या शून्य दर्शायी गई है तथा ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु श्रमिक रखे जाते है। जोकि अस्थायी होते है इसमें चालक, श्रमिक एवं अन्य मजदूर भी सम्मिलित होते है जिस कारण इनकी संख्या 150 दर्शायी गयी है।
8	State Govt. will provide and upload FRA certificate after authenticating the correction made in it.	प्रस्तावक विभाग द्वारा एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र तीन-तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक सं0 05 के रूप में संलग्न है)**

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या / दिनांकित।

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर को उपरोक्त उल्लेखित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122
E Mail :- eepdgpr1@.gmail.com

दिनांक-18 / 06 / 2025

पत्रांक- 1401 /24 एल.ए.

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
रजिस्ट्रेशन नं0......991
फाइल नम्बर......194
प्राप्त दिनांक....20.6.2025

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय- जनपद चमोली के अन्तर्गत घुड़साल–सैकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.772 है0 वनभूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग का प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ- भारत सरकार पर्यावरण वन जल वायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र) का पत्र संख्या 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 180 / 2016 / एफ0सी0 / 1718 दिनांक 17.01.2018 इस कार्यालय का पत्राक 1842 / 24 एल0ए0 दिनांक 27.08.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण वन जल वायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र) का पत्र संख्या 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 180 / 2016 / एफ0सी0 / 1718 दिनांक 17.01.2018 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में पुनः बिन्दुवार आख्या निम्नवत प्रेषित है:–

क्रम सं.	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
01	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 820 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 820 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु रू0 8,20,000.00 मात्र का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से दिनांक 02.08.2018 को वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। (चालान की प्रति सलंग्न 1 न.)
02	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007 –एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007 –एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 5,072,04.00 मात्र आर0 टी0 जी0 एस0 के माध्यम से दिनांक 02.08.2018 जमा की गयी। कालान्तर में एन0पी0वी0 की धनराशि में पुनरिक्षित होने के पश्चात बढी हुई धनराशि रू. 268818.00 का दिनांक 12.06.2025 का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा कर दिया गया। (सलंग्न 1 से 2 नं.)

Scanned with CamScanner

03	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़े हुये दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आश्य की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचन बद्वता प्रस्तुत की जाय।	प्रमाण पत्र संलग्न 3 प्रतियों में सलंग्न है 2–3
04	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें, कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV ETC.) को वह पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा क़िये जाय अन्य माध्यमों से जमा कि गयी धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नही होगी।	मांग के अनुसार अतिरिक्त एन0पी0वी0 एवं मार्ग के दोनों ओर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से दिनांक 02.08.2018 को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन के माध्यम से चालान जनरेट करते हुये उत्तराखण्ड़ कैम्पा के पक्ष में जमा किया जा चुका है।
05	सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आश्य की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	प्रमाण पत्र 3 प्रतियों संलग्न 4–5
06	State Govt will Provide Hard copy of digital map of propospt Road FRA Plantation Scheme in original	डिजीटल जियोरिफरेन्स मानचित्र, वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धी प्रपत्र 3 प्रतियों में संलग्न 5–15
07	State Govt will review the data given about Employment likely to be generated and upload correct date acout employment details at para-E online part-1	खण्ड़ द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित कर नयूनतम निविदादाता के नाम अनुबन्ध गठित कर निर्माण कार्य कराया जाता है। जिस कारण स्थायी कर्मचारियों की संख्या शून्य दशायी गई है। तथा ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य के दौरान विभिन्न कार्यो के सम्पादन हेतु श्रमिक रखे जाते है। जो कि अस्थाई होते हैं इसमें चालक, श्रमिक एवं अन्य मजदूर भी सम्मिलित होते हैं जिस कारण इनकी संख्या 150 दर्शायी गयी है।

Scanned with CamScanner

08	State Guot will Provide and upload FRA certificate after authenticaaing the correction made in it	बिन्दु संख्या 8 के अनुपालन में अवगत कराना है कि, FRA प्रमाण पत्र प्रस्ताव में पूर्व भी संलग्न है। पुनः FRA प्रमाण पत्र 3–3 प्रतियों में बिन्दु संख्या 06 में सलग्न है।

अतः अनुरोध है कि उक्त आख्या अपने स्तर से अपर प्रमुख वन सरंक्षक एवं नोडल अधिकारी वन सरंक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को अग्रसारित करने की कृपा करें।

सलंग्न– तीन–तीन प्रतियों में अनुपालन आख्या।

18.6.2025

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
गोपेश्वर।
18.6.2025

प्रतिलिपिः– सहायक अभियन्ता, (द्वितीय) लो0नि0वि0, गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– खण्डीय अमीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

Scanned with CamScanner

संलग्नक- (1) (मूल में)

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 25-07-2018

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6112313709
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/180/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PROVINCIAL DIVISIONChamoli
Amount(in Rs)	1327204/-

Amount in Words :Thirteen Lakh Twenty-Seven Thousand Two Hundred and Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896112313709 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 25-07-2018

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6112313709
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/180/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	PROVINCIAL DIVISION Chamoli
Amount(in Rs)	1327204/-

Amount in Words :Thirteen Lakh Twenty-Seven Thousand Two Hundred and Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896112313709 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

J# 024957360

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

2-8-18

Executive Engineer
Provincial Division P.W.D.
Gopeshwar

Executive Engineer
Provincial Division P.W.D.
Gopeshwar

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D
GOPESHWAR

Prashant
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

संलग्नक (2)

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कारपोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 06-06-2025

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6112313637
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/180/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	PROVINCIAL DIVISION Chamoli
Amount(in Rs)	268818.12/-

Amount in Words :Two Lakh Sixty-Eight Thousand Eight Hundred and Eighteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896112313637 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

challan, if the payment status has not been updated
of your challan with transaction date and reference
e@unionbankofindia.bank,

भारतीय स्टेट बैंक गोपेश्वर
12 JUN 2025
Manish Gupta

Prashant
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

संलग्नक - (3)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122 E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

एन॰पी॰वी॰ प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः– जनपद चमोली के अन्तर्गत घुडसाल–सैकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.772 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत घुडसाल–सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.772 है0 वन भूमि की स्वीकृति मिलने पर एन॰पी॰वी॰ की धनराशि यदि मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन॰पी॰वी॰ की वर्तमान दरों में वृद्वि की जाती है, तो लोक निर्माण विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप बढी हुई एन॰पी॰वी॰ धनराशि का भुगतान वन विभाग को किया जायेगा।

10-8-18
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
गोपेश्वर।

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

Prashant
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

संलग्नक-4 (2)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड़, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No- 01372 – 252122 E Mail :- eepdgpr1@.gmail.com

प्रमाण पत्र

विषय– जनपद चमोली के अन्तर्गत घुडसाल–सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.772 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि का गैर वानिकी हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ–जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा central verge पर प्रयोक्त्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantion किया जायेगा।

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
गोपेश्वर।

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

संलग्नक-5 (7)

जीयोरेफेरेन्स मैप – जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत घुड़साल – सैकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 8.00 कि0मी0 + 36 मीटर स्पान स्टील गार्डर हेतु)

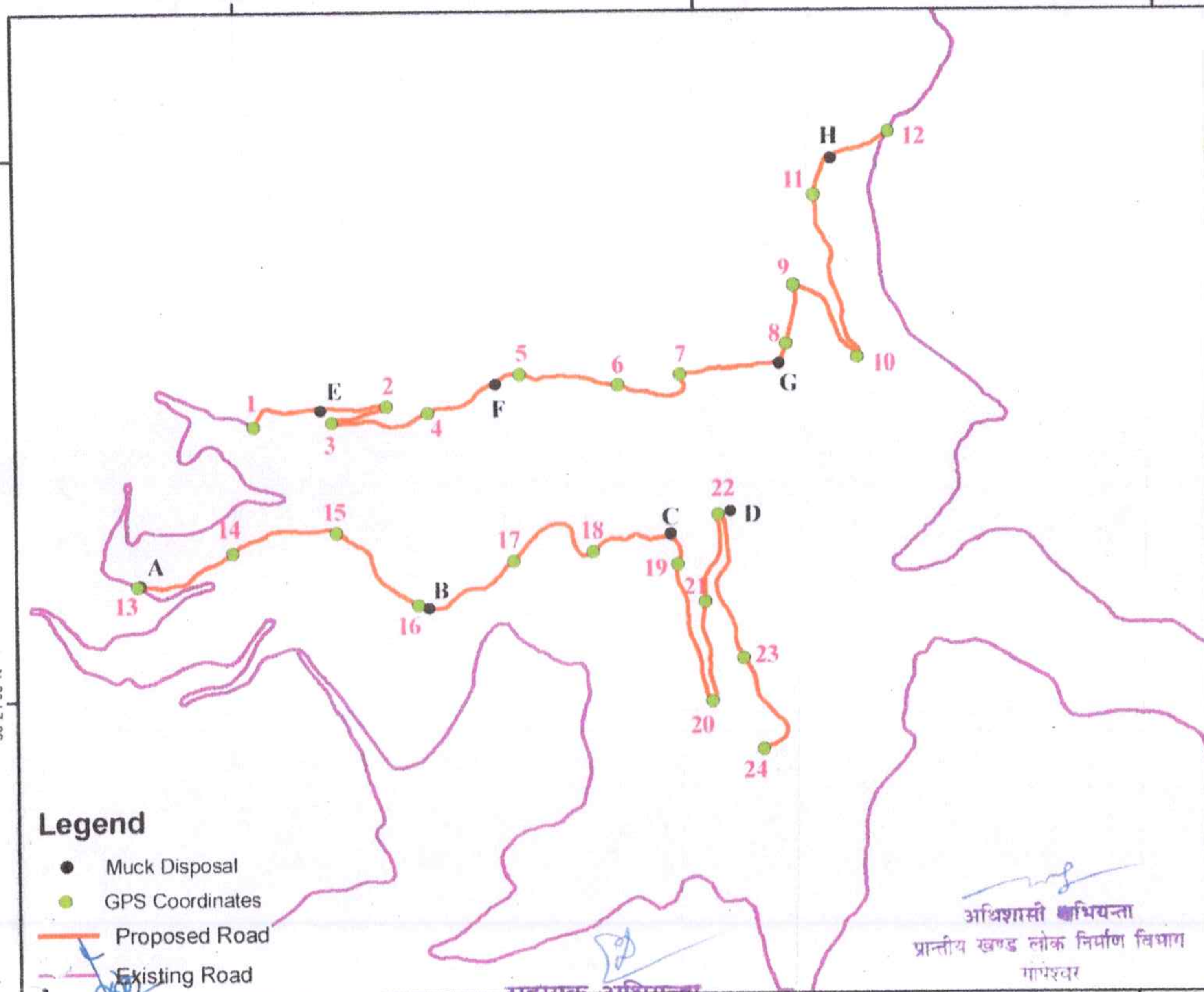

S.no.	Longitude	Latitude
1	79°17' 31.487" E	30°21' 45.432" N
2	79°17' 40.237" E	30°21' 46.671" N
3	79°17' 36.622" E	30°21' 45.713" N
4	79°17' 42.920" E	30°21' 46.317" N
5	79°17' 48.896" E	30°21' 48.536" N
6	79°17' 55.330" E	30°21' 48.015" N
7	79°17' 59.363" E	30°21' 48.649" N
8	79°18' 6.270" E	30°21' 50.460" N
9	79°18' 6.661" E	30°21' 53.697" N
10	79°18' 10.908" E	30°21' 49.762" N
11	79°18' 7.952" E	30°21' 58.734" N
12	79°18' 12.706" E	30°22' 2.294" N
13	79°17' 24.058" E	30°21' 36.459" N
14	79°17' 30.261" E	30°21' 38.437" N
15	79°17' 37.073" E	30°21' 39.613" N
16	79°17' 42.548" E	30°21' 35.587" N
17	79°17' 48.618" E	30°21' 38.166" N
18	79°17' 53.868" E	30°21' 38.779" N
19	79°17' 59.395" E	30°21' 38.121" N
20	79°18' 1.784" E	30°21' 30.509" N
21	79°18' 1.225" E	30°21' 36.053" N
22	79°18' 1.974" E	30°21' 40.885" N
23	79°18' 3.828" E	30°21' 32.952" N
24	79°18' 5.219" E	30°21' 27.916" N
	Muck Dispsoal	
A	79°17' 24.280" E	30°21' 36.529" N
B	79°17' 43.239" E	30°21' 35.452" N
C	79°17' 58.863" E	30°21' 39.786" N
D	79°18' 2.778" E	30°21' 41.064" N
E	79°17' 35.906" E	30°21' 46.360" N
F	79°17' 47.339" E	30°21' 47.941" N
G	79°18' 5.796" E	30°21' 49.311" N
H	79°18' 9.040" E	30°22' 0.772" N

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर (चमोली)

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
गोपेश्वर

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION
GOPESHWAR

संलग्नक 6

डिजिटल मानचित्र – जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत घुड़साल – सैकोट मोटर मार्ग के निमार्ण हेतु (लम्बाई 8.00 किमी0+ 36 मीटर स्पान स्टील गर्डर सेतु)

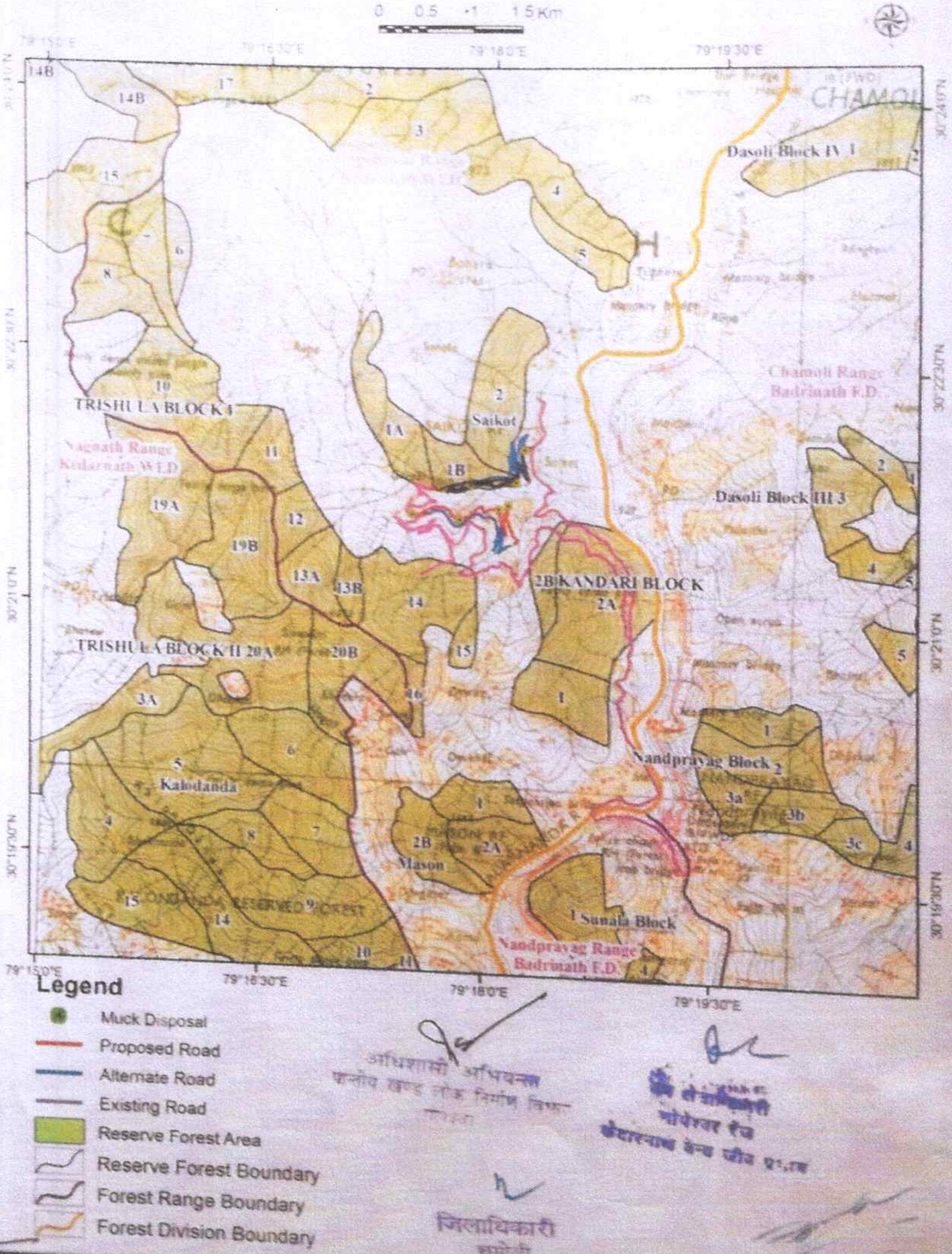

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्र0,ग0

जिलाधिकारी
चमोली

उप जिलाधिकारी

Prashant
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
गोपेश्वर

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

AnyScanner

संलग्नक (छ)

डिजिटल मानचित्र – जनपद चमोली मे राज्य योजना के अन्तर्गत घुडसाल – सेकोट मोटर मार्ग के निमार्ण हेतु (लम्बाई 8.00 किमी0+ 36 मीटर स्पान स्टील गर्डर सेतु)

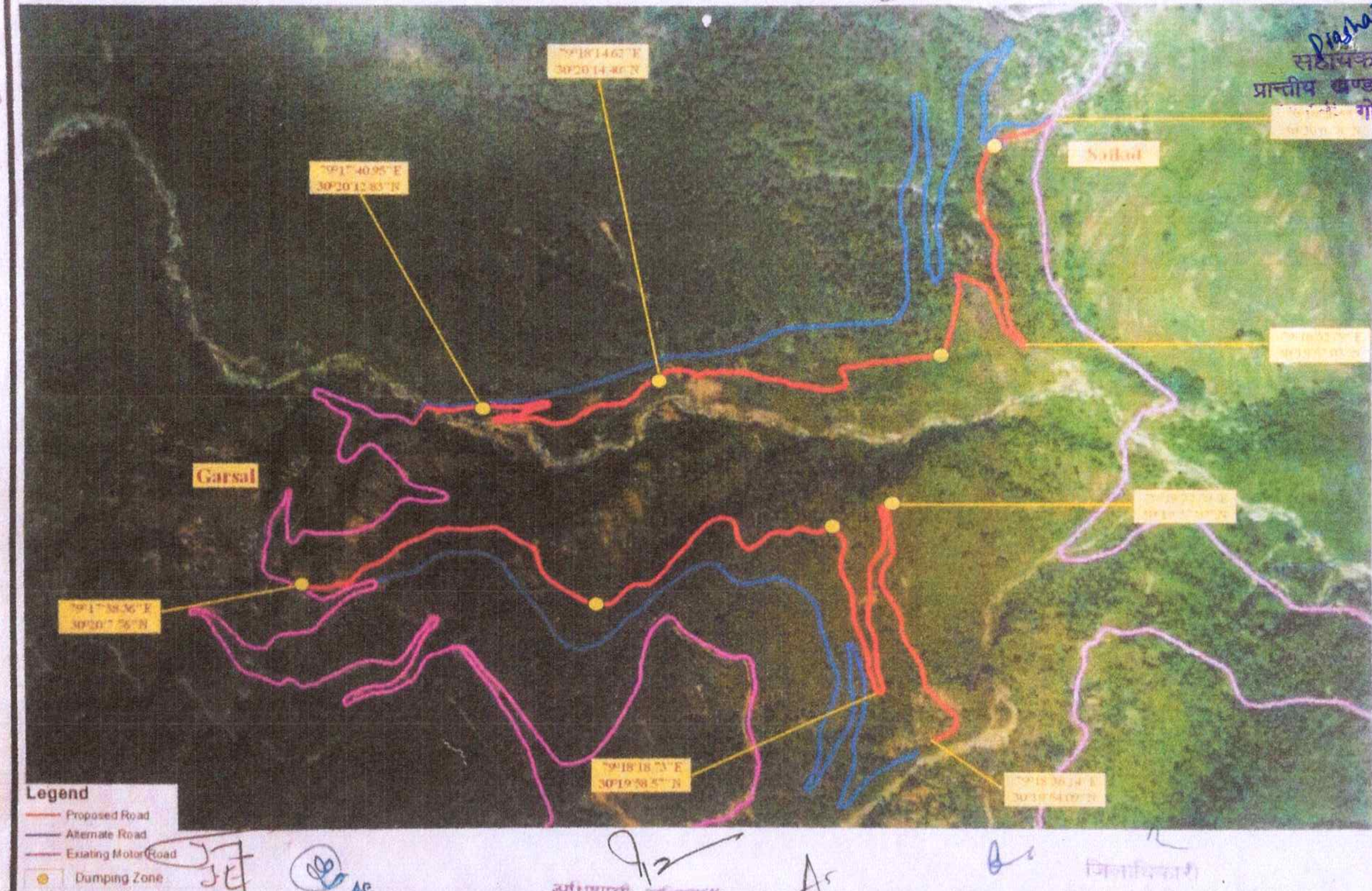

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

जिलाधिकारी

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.

संलग्नक-15

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No.:- Camp

Dated :- 10-03-2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF). Government of India's letter No- 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights. Act 2006 (FRa, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.772 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Ghurshal-Saikot motor road. Under State Sector (Length 1.50 Km) at Dasoli Block in District Chamoli (purpose for diversion of forest land) falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.772 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	As there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	As there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	As there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

District Magistrate Chamoli

Prashant
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

संलग्नक (5)

ANNEXURE

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate, Chamoli on dated 10-3-2015 at time 12:00 Hrs. at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 0.7721 Hect of civil land for the Construction of Ghurshal-Saikot motor road Under State Sector (length 1.50 km. at Dasoli Block in District- Chamoli forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chamoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated: 10:3:15

Signature

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

जिलाधिकारी
(Ashok Kumar)
(District Magistrate Chamoli)

Prashant
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

DM FRA letter

संलग्नक-5 (12)

प्रपत्र 232

परियोजना का नामः– जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के घुड़साल–सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।
कार्यालय उप जिलाधिकारी चमोली।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

उपखण्ड चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के घुड़साल–सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.772 सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. 7.3.15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा॰ सदस्यों की उपस्थिति में निम्नानुसार है–

1– श्री अवधेश कुमार सिंह .... उपजिलाधिकारी (सदर) अध्यक्ष
2– श्री एस॰ एन॰ सिंह .... उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
3– श्री आर. एल. रतूड़ी .... सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य/सचिव
4– श्रीमती सुनीता पंवार .... बी॰डी॰सी॰ क्षेत्र सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के घुडसाल–सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.772 है॰ वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा॰ सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मिति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा॰ सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

AK Singh 07/03/2015 उपजिलाधिकारी अध्यक्ष (उप जिलाधिकारी चमोली)	उप प्रभागीय वनाधिकारी / सदस्य (वन क्षेत्राधिकारी सदस्य)	सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव	सुनीता पंवार बी॰डी॰सी॰ क्षेत्र सदस्य

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

Prashant
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो॰ नि॰ वि॰
गोपेश्वर

संलग्नक 5
(13)

परियोजना का नाम : राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में घुडसाल–सैकोट मोटर मार्ग वन भूमि हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के चमोली के विकास खण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में घुडसाल–सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.772 हे० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु 0.772 हे० सिविल एवं आरक्षित वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते है। नही किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारो का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओ द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त वन भूमि 0.772 हे० सिविल एवं आरक्षित भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नही है। ग्राम सभाओ की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर प्रधान

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

संलग्नक 5 (14A)

प्रपत्र –23.1

दि॰ 03/03/15 को ग्राम सभा सैकोट की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए

क्रं॰	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राकेश लाल कनोड़ी	[illegible]
	हरीश पवार	हरीश पवार
	शकुन्तला देवी	शकुन्तला देवी
	सुरेशी देवी	सुरेशी देवी
	सुन्दर लाल	[illegible]
	शिव प्रसाद पुरोहित	शिव प्रसाद
	हीरा देवी	हीरा देवी
	प्रमोद सती	प्रमोद
	सुबोध सती	[illegible]
	दिनेश प्रसाद थपलियाल	[illegible]
	महेन्द्र लाल	महेन्द्र लाल
	रमेश लाल	रमेश लाल
	दर्शन सिंह गुसाईं	दर्शन सिंह
	मनोज	मनोज
	महेन्द्र सिंह पवार	[illegible]
	सत्येन्द्र	सत्येन्द्र
	प्रकाश लाल	प्रकाश लाल
	गिरीश लाल	गिरीश चन्द्र
	दिनेश लाल	[illegible]
	प्रमोद लाल	प्रमोद लाल
	कुलदीप सिंह पवार	[illegible]
	शंकर सिंह रावत	[illegible]
	वंशी लाल	वंशी लाल
	कुन्दी लाल	मुरारी लाल
	मुरारी लाल	विनोद कुमार

विनोद लाल

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो॰ नि॰ वि॰
गोपेश्वर

प्रधान ग्राम पंचायत सैकोट
03/03/2015

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

सलग्नक (5) 13

जनपद चमोली के अन्तर्गत घुड़साल–सैकोट मोटर मार्ग का नवनिर्माण के अन्तर्गत 820 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य करने का प्राक्कलन।									
2–क्षेत्रफल 0.772 है0									
वृक्षारोपण स्थल का नाम– घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग के दोनों साइड।									
रोपित की जाने वाली पौधों की संख्या 820 पौध।									
रोपित की जाने वाली प्रजाति– मिश्रित प्रजाति।									
क0सं.	कार्य का विवरण	सं0	ल0	चौ0	ऊ0	मात्रा	दर	इकाई	धनराशि
	प्रथम वर्ष (अग्रिम मृदा कार्य)								
1	गढढे खुदान कार्य रेखांकन चूना सहित (0. 30×0.30×0.45 मी0)					820	14.28	प्रति गढढा	11709.60
2	ट्री गार्ड क्रय एवं फिक्स करना					820	843.00	सं0	691260.00
3	पौध की कीमत					820	24.20	प्रति पौध	19844.00
								योग प्रथम चरण	**722813.60**
	द्वितीय चरण								
1	गढढा भरान कार्य (0.30×0.30×0.45मी0) रेंखांकन चूना सहित					820	2.45	प्रतिगढढा	2009.00
2	पौध की कीमत द्वितीय वर्ष					820	4.31	प्रति पौध	3534.20
3	पौध ढुलान कार्य					820	14.25	प्रति पौध	11685.00
4	पौध रोपण कार्य					820	4.61	प्रति पौध	3780.20
	योग द्वितीय वर्ष								**21008.40**
	तृतीय वर्ष								
5	अनुरक्षण प्रथम वर्ष चौकीदारी कार्य					12	1028.4/hq/ month	माह	9527.10
	योग तृतीय वर्ष								**9527.10**
	चतुर्थ वर्ष								
1	अनुरक्षण द्वितीय वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)					12	1028.4/hq/ month	माह	9527.10
	योग चतुर्थ वर्ष								**9527.10**
	पंचम वर्ष								
1	अनुरक्षण तृतीय वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)					12	1028.4/hq/ month	माह	9527.10
	योग पंचम वर्ष								**9527.10**
	षष्ठम वर्ष								
1	अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)					12	1028.4/hq/ month	माह	9527.10
	योग षष्ठम वर्ष								**9527.10**
	सप्तम वर्ष								
1	अनुरक्षण पंचम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)					12	1028.4/hq/ month	माह	9527.10
	योग सप्तम वर्ष								**9527.10**

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

	अष्ठम वर्ष								
1	अनुरक्षण षष्ठम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)					12	1028.4/hq/ month	माह	9527.10
	योग अष्ठम वर्ष								**9527.10**
	नवम वर्ष								
1	अनुरक्षण सप्तम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)					12	1028.4/hq/ month	माह	9527.10
	योग नवम् वर्ष								**9527.10**
	दशम वर्ष								
1	अनुरक्षण अष्टम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)					12	1028.4/hq/ month	माह	9527.10
	योग दशम वर्ष								**9527.10**
								total	**820038.78**
								or	**820000.00**

जांच किया रूपये 820000.00 मात्र के लिए।
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर वन क्षेत्र
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
[illegible]

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR